न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2016 (2016/00081)

प्राथीगण

1. सोहनलाल पुत्र गुमानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. लादूराम पुत्र लालूराम जाति खटीक निवासी ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
2. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी।
3. उप पंजीयक, कुचामन सिटी।
4. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता दिलाने
अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित – 1. श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीग की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :– 15/02/2018

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम कुकनवाली कुचामन सिटी के निवासी है। प्रार्थी की ग्राम कुकनवाली में कृषि भूमि खेत खसरा नं0 440 रकबा 2.08 है0, खसरा न0 439 रकबा 0.02 है0 स्थित चला आ रहा है तथा अप्रार्थी सं0 1 ग्राम कुकनवाली में खेत खसरा नम्बर 441 रकबा 1.62 है0 स्थित चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 440 व 439 में आने जाने का कोई सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है इससे आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए मुझ प्रार्थी को खेत में आने जाने, मवेशियान लाने ले जाने में, ट्रेक्टर गाड़ी इत्यादि आने जाने में काफि असुविधा हो रही है इसलिए मुझ प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ता की जरूरत है इसलिए यह रास्ते का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 439 व 440 में जाने के लिए सबसे नजदीक अप्रार्थी सं 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 441 सबसे नजदीक है।

मुझ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 439 व 440 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 441 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता उत्तरी सीमा के दक्षिणी सीमा तक संलग्न नजरी नक्शे अनुसार आबादी से लगती हुई सीमेंट सड़क

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तक की लम्बाई का दिलाने की कृपा करावें जिसका जो भी सरकारी डी.एल.सी. दर निर्धारित है उसका भुगतान करने को तैयार है।

प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 439 व 440 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 441 की भूमि की पश्चिमी साइड में उत्तर से दक्षिण तक 4 मीटर चौड़ाई की भूमि का राजकीय रास्ता दर्ज कराया जावे एवं जिसकी सरकार द्वारा निर्धारित फीस (डी.एल. सी.) जमा कराने को प्रार्थी तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई, शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 7 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, शामिल मिसल है, प्रार्थी वकील नो ओब्जेक्शन करने पर अप्रार्थी 1 के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जबाब पेश किया गया, शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकुलाय ने बहस सुनाई, बहस में वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नकारते हुये अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया की न्यायालय में रास्ता प्राप्त करने के लिये धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत आवेदन पत्र संख्या 112/13 पेश किया था जिसमें प्रार्थी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2016 को खारीज किया गया इसलिए धारा 11 सीपीसी के तहत वर्तमान प्रार्थना पत्र 29/16 चलने योग्य नहीं होने से खारीज फरमावें। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 441 के पास कोई कटाणी मार्ग नहीं है। खसरा नम्बर 242 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित है जिसमें से प्रार्थी ने रास्ता नहीं मांगा है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बिलकुल झुठा पेष किया है जो चलने योग्य नहीं है। काबिल खारीज किये जाने योग्य होने से खारीज फरमावें। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 के जबाब को नकारते हुये कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं होने से रास्ता हेतु धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है तहसीलदार कुचामन सिटी ने भी अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 441 में उत्तर से दक्षिण लम्बाई 125 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल रकबा 500 वर्ग मीटर का बताया है इसके अलावा इस भूमि में जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है इसलिये माफिक तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत में जाने के लिये रास्ता कटाणी कायम किया जावें। जिसके लिये प्रार्थी उक्त कटाणी रास्ता की भूमि का मुआवजा राशि देने को तैयार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटाणी के आदेश फरमावें।

वकुलाय की बहस व प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न जबाब, दस्तावेजात खतोनी, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस का मनन

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

करने पर काश्तकार के हितों को मध्यमजर रखते हुये प्रार्थी को खेत में जाने के लिये रास्ता नहीं होने से प्रार्थी ने धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल स्वीकार होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश जारी किये जाते है ।

आदेश

ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 439 व 440 में आवागमन, पशु मवेशी व ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु खसरा नम्बर 441 रकबा 1.62 है0 किस्म बारानी तीन में उत्तर से दक्षिण लम्बाई 125 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल रकबा 500 वर्ग मीटर भूमि रास्ता (कटाणी) घोषित किया जाता है। उक्त भूमि की एवज में मुआवजा राशि के रूपये 245530 प्रति है0 से 500 वर्ग मीटर की राशि 12277/- रूपये का दोगुना 24554/- कायम कि जाती है। प्रार्थी उक्त राशि जरीये बैंक चालान/ड्राफ्ट द्वारा बैंक में जमा कराकर कार्यालय हाजा के कैशियर के पास जमा करावें। अप्रार्थीगण उक्त राशि एक माह में न्यायालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें। राशि जमा होने पर उक्त कटाणी रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनॉक 15/02/2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)